समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला गोपनीय शाखा)

फोन न0 :– 06114–223001
फैक्स न0 :–06114–223142
ई–मेलः–dm-jehanabad.bih@nic.in

पत्रांक /गो0
दिनांक वीं, मार्च, 2013

संयुक्त आदेश होली - 2013

इस वर्ष होली का त्योहार दिनांक 27.03.2013 एवं 28.03.2013 को मनाया जायेगा। 26 मार्च, 2013 की रात्रि सें होलिका दहन होगा तथा 28 मार्च, 2013 को होली खेली जायेगी। इस जिले में होली के दूसरे दिन यानी 29 मार्च, 2013 को परंपरा के अनुसार **''झुमटा''** निकाली जाती है।

2. विगत वर्षों में ईद, बकरीद, मुहर्रम, दशहरा, दीपावली आदि का त्योहार शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए हैं। राज्य में साम्प्रदायिक स्थिति यद्यपि नियंत्रित है। पूर्व के वर्षों में इस राज्य के विभिन्न जिलों में तथा अन्य राज्यों में घटी घटनाएँ एवं तनाव/ आशंकाओं के दृष्टांत, दोनों सम्प्रदायों के बीच कटुता/ विद्वेष की अंतर्भावना को इंगित करते हैं। अतः साम्प्रदायिक स्थिति की वर्तमान संवेदनशीलता के आलोक में होली पर्व के अवसर पर विशेष सतर्कता बरतने एवं पर्याप्त सतर्कता मूलक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। अतः दोनों सम्प्रदायों के रूढ़िबादी/ कट्टरपंथी साम्प्रदायिक तत्वों/ संगठनों के अलावे असामाजिक/ अपराधिक/ उग्रवादी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने तथा साम्प्रदायिक स्थिति उत्पन्न होने की थोड़ी सी भी आशंका पर पर्याप्त सतर्कता मूलक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उक्त अवसर पर विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति जिले के संवेदनशील स्थानों के लिए की गयी है, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट - ''क'' पर अंकित है। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने बल के साथ अपना-अपना स्थान दिनांक 26.03.2013 के प्रातः 08.00 ग्रहण कर लेंगे तथा दिनांक 29.03.2013 को पर्व के शान्तिपूर्ण समाप्ति तक अपने स्थान पर बने रहेंगे। सभी दण्डाधिकारी एवं बल अपना स्थान छोड़ने के पूर्व आश्वस्त हो लेंगे कि वहाँ पर किसी प्रकार की विधि–व्यवस्था भंग होने की आशंका नहीं है।

3. <u>**गश्ती :-**</u> दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति परिशिष्ट ''ख'' पर पालीवार अंकित है। जिसके अंतर्गत जहानाबाद नगर क्षेत्र में चलन्त गश्ती की व्यवस्था की गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, जहानाबाद यदि आवश्यकता समझेंगे तो अपने स्तर से अतिरिक्त गश्ती की भी व्यवस्था करेंगे। जहानाबाद शहरी क्षेत्र हेतु यह गश्ती दल जिला नियंत्रण कक्ष के नियंत्रण में कार्यरत रहेगा। गश्ती दल में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी पुलिस पदाधिकारी सम्पूर्ण नगर क्षेत्र में घूमते रहेंगे तथा क्षेत्र में विधि–व्यवस्था संधारण के साथ-साथ गुप्त आसूचनाओं को भी एकत्र करेंगे और आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। वे क्षेत्र की विधि–व्यवस्था के संबंध में प्रत्येक दो घण्टे पर नियंत्रण कक्ष को सूचना उपलब्ध कराते रहेंगे।